

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (671)परि/आरटीए/2001/मु. 24114

जयपुर, दिनांक:- 17.11.2016

अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9315-28 दिनांक 29.05.2015 के बिन्दु संख्या 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निजी संचालकों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मंजिली गाडियों के परमिट स्वीकृत करने के लिए, यानों और फेरों की संख्या सीमित करने हेतु, जारी की गयी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 17226, दिनांक 02.09.2015 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

1. अधिसूचना क्रमांक 17226 दिनांक 02.09.2015 में विद्यमान सारणी के क्रम संख्या 179 की प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी :-

"

179	जयपुर-पिलानी वाया चोमू, सीकर, नवलगढ़, मुकन्दगढ़, झुन्झुनू, चिड़ावा	56	106
-----	--	----	-----

"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा)

संयुक्त शासन सचिव


क्रमांक:- एफ 9 (671)परि/आरटीए/2001/मु. 24115+24

जयपुर, दिनांक:- 17.11.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 17.11.2016 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (न्याय), जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव/सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार।
7. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार/अति. सचिव राज्य परिवहन प्रा.।
10. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी..... समस्त।
11. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
12. रखित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव